

2017
00252

2017
00252

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, बारा जिला बारा (यज.)

ना पत्र सं.	धारा अन्तर्गत	ग्राम	तहसील
2117/0009/17	136 (R)	कोपला	बाटा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
शिवराज मिश्र	बनाम	उपखण्ड	

वकील :-
आदेश पत्रक

कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
<p>31/10/17 रिपोर्ट सीधे दिये गये उपखण्ड एवं जिला सिविल जागरूकता की तालीमों के लिए जारी की गई है।</p> <p>18/11/17 पत्रकी प्रकृति की वही प्रकृति का पत्रक जारी किया गया है।</p> <p>31/10/17 पत्रकी प्रकृति की वही प्रकृति का पत्रक जारी किया गया है।</p>	<p>18/11/17</p> <p>4/11/17</p> <p>1-9-17</p> <p>3-10-17</p> <p>31-10-17</p> <p>30-11-17</p> <p>12-1-18</p> <p>12-2-18</p> <p>19-3-18</p> <p>15-3-18</p> <p>23/3/18</p> <p>8-5-19</p>
<p>31/10/17 पत्रकी प्रकृति की वही प्रकृति का पत्रक जारी किया गया है।</p>	
<p>31/11- पीठासीन न्यायाधीश के आदेश पर उपखण्ड अधिकारी बारा को प्रस्तुत किया गया है।</p>	
<p>30-11-17 पत्रकी प्रकृति की वही प्रकृति का पत्रक जारी किया गया है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी बारा

उपखण्ड अधिकारी बारा

उपखण्ड अधिकारी बारा

उपखण्ड अधिकारी बारा

12-1-18

6

उपखण्ड अधिकारी बारा

फर्द अहकाम

नियम 20

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, बारां


उनवान

शिवराज सिंह बनाम राज0 सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

प्रकरण संख्या D009/17

दायरा तिथि :- 05.07.2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। नक्शा दुरुस्ती के लिए यह वाद प्रस्तुत किया गया है। धारा 136 एल. आर.एक्ट में केवल लिपिकीय अशुद्धियां सही की जा सकती है, किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नहीं किया जा सकता है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय RRT 2015 page 10 तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्णय RRT 2022(2) page 1864 में थी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया कि LRacT की धारा 136 में किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नहीं किया जा सकता है।</p> <p>इसलिए हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और प्रार्थी को सलाह दी जाती है कि वह नियमित वाद में आवे सुविधा की दृष्टि से प्रार्थी नियमित वाद में इस पत्रावली को नत्थी करवा सकेगा।</p> <p>निर्णय सरे इजलास पढकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> (बनवारी लाल बैरवा) उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां उपखण्ड अधिकारी बारां</p>	